कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून पिन कोड़-248195

स0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-33/2018-19/

दिनांक : /07/2018

सेवा में,

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत- परसारी,
विकास खण्ड- जाखणीधार,
जिला- टिहरी गढ़वाल

विषय : ग्राम पंचायत परसारी, विकास खंड- जाखणीधार, का वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग-2(ब) में 01 प्रस्तर तथा STAN का 01 प्रस्तर** हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (*Annual Technical Inspection Report) (ATIR*) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग 2(ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-33/2018-19/ **दिनांक: /07/2018**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड़, आई0टी0पार्क सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून
2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट) निदेशालय उत्तराखण्ड, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005
3- जिला पंचायतराज अधिकारी **टिहरी गढ़वाल,**
4- खण्ड विकास अधिकारी **जाखणीधार, जनपद- टिहरी गढ़वाल**

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

ग्राम पंचायत **परसारी,** (क्षेत्र पंचायत- **जाखणीधार,** जनपद- **टिहरी गढ़वाल** के लेखे पर निरीक्षण प्रतिवेदन। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखाकार (क.श.एवं.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है।

भाग-1

ग्राम पंचायत, **परसारी,** (क्षेत्र पंचायत- **जाखणीधार,** जनपद - **टिहरी गढ़वाल** के वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के लेखों की संप्रेक्षा श्री अशोक कमार मीना, ले.प. द्वारा 11/06/2018 से 12/06/2018 तक की गयी।

2. परिचय

(अ) इस ग्राम पंचायत का यह **प्रथम निरीक्षण** था।

(ब) ग्राम पंचायत का परिचय अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

3. प्रशासन

उल्लिखित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान और उप प्रधान थे-

I प्रधान

नाम	अवधि
(अ) श्री नैन सिहं	2014 जुलाई 14 से 16 अप्रैल 2018 तक

II उपप्रधान-

नाम	अवधि
(अ)श्री विशाल राठी	2014 जुलाई 14 से 06 जून 2018 तक

भाग-2

अनुभाग 'अ'

1 (अ) पिछले प्रतिवेदनों के बकाया आपत्तियों के प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है।

-प्रथम निरीक्षण-

(ब) सतत् अनियमितताएं:-

-शून्य-

2. अनुदान

अनुदानों की विनियोग पंजी नहीं रखी जा रही है, एवं अनुदानों की विनियोग पंजी न रखने से होने वाले प्रभाव निम्नवत् है।

1- अनुदान पंजिका नहीं बनाये जाने के कारण उपभोग प्रमाण पत्र की जांच नही हो सकी।

भाग-2

अनुभाग 'ब'

1. लेन-देनों का परिमाण

सम्प्रेक्षणाधीन वर्ष के दौरान लेन-देनों का परिमाण निम्नलिखित विवरणानुसार था।

	धनराशि (` में)
01.04.2014 को प्रारम्भिक शेष	` 618861.42/-
जोड़े-वर्ष के दौरान प्राप्तियां	` 749331/-
कुल प्राप्तियां	` 1368192.42/-
घटायेः- वर्ष के दौरान व्यय	` 935889/-
31.03.2018 को अंतिम शेष	` 432303.42/-

2. रोकड़ शेष:

(i) ग्राम पंचायत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2018 को शेष का कोषालय/बैंक पास बुक/विवरण के शेष से मिलान किया गया है।

----------शून्य----------

3. समाधान विवरण		
		(धनराशि ` में(
रोकड़ बही के अनुसार शेष	:	` -/432303.42
जोड़े	:	
(i)	:	0.00
घटायें	:	
(i)	:	0.00
बैंक पासबुकोंविवरण के अनुसार शेष/	:	` -/432303.42

(ii) रोकड़ बही में अनियमितताएं

----------शून्य----------

4. आय व्ययक

(अ) ग्राम पंचायत ने वर्ष के लिए न तो कोई आय व्ययक अनुमान तैयार/अनुमोदित किया न ही उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के नियम 44 के अधीन कोई कार्यवाही की। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि ` 935889/-उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के नियम 44 के अनुसार अनाधिकृत है।

5. अग्रिम:

अग्रिम पंजिका नहीं बनायी गयी थी। अतएव निरीक्षण में अग्रिमों के संबंध में कोई निरीक्षण टिप्पणी नहीं की जा सकी।

6. नहीं बनाये गये अति महत्वपूर्ण अभिलेखः

(1) ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित लेखा पंजिकायें/अभिलेख नहीं खोली/रखी गयी थी या इनका ठीक से रख-.रखाव नहीं किया गया था:- शून्य

भाग-एक

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय ग्राम पंचायत **परसारी,** के लेखा -अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प. द्वारा दिनांक द्वारा 11/06/2018 से 12/06/2018 तक को संपादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः **प्रथम निरीक्षण**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (अ)**	**प्रस्तर भाग-4 (ब)**

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर -

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-	---

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची:

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:

भाग -3 (ग्राम पंचायत- परसारी,2015-16

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	450000	106000	556000	510441	45559
2	राज्य वित्त	100000	24000	124000	50848	73152
3	ब्याज प्राप्ति	0	21199	21199	0	21199
4	अन्य मद	68861.42	0	68861.42	10200	58661.42
	कुल योग	**618861.42**	**151199**	**770060.42**	**571489**	**198571.42**

भाग -3 (ग्राम पंचायत- परसारी,2016-17

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	45559	144000	189559	121500	68059
2	राज्य वित्त	73152	73470	146622	47600	99022
3	ब्याज प्राप्ति	21199	8584	29783	0	29783
4	अन्य मद	58661.42	0	58661.42	0	58661.42
	कुल योग	**198571.42**	**226054**	**424625.42**	**169100**	**255525.42**

भाग -3 (ग्राम पंचायत- परसारी, 2017-18

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	68059	280000	348059	147000	201059
2	राज्य वित्त	99022	83000	182022	43200	138822
3	ब्याज प्राप्ति	29783	9078	38861	0	38861
4	अन्य मद	58661.42	0	58661.42	5100	53561.42
	कुल योग	**255525.42**	**372078**	**627603.42**	**195300**	**432303.42**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

(iii) इकाई द्वारा बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जा रहा है |

भाग 2(ब)

प्रस्तर 1- वित्तीय नियमानुसार रु. 2000/- से अधिका का भुगतान बैंक के माध्यम से न करके नगद किया जाना।

ग्राम पंचायत परसारी के केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त योजना के अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्यों से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 से 2017-18 में कराये गये निर्माण कार्यों हेतु प्रयोग में लाई गयी सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान नगद में किया गया था, जबकि 2000 से ऊपर की धऩराशि की सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से फर्म अथवा अन्य को किया जाना चाहिए था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में इसकी पुनरावर्ती नहीं किये जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि वित्तीय नियमानुसार नगद में भुगतान किया जाना मान्य नहीं है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- ग्राम पंचायत द्वारा आय मे बदोतरी न किए जाने के कारण परफॉर्मेंस ग्रांट से वंचित रहना ।

भारत सरकार के पत्रांक 13(32)FCC/FCD/2015-16 दिनांक 08-10-2015 के बिन्दु संख्या 13 मे ग्राम पंचायतों को परफॉर्मेंस ग्रांट के संबंध मे निर्देशित किया गया है कि जो ग्राम पंचायते परफॉर्मेंस ग्रांट चाहती हैं उनकी योग्यता निर्भर करेगी :-

(अ) ग्राम पंचायत को लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करना होगा जो उस वर्ष से दो वर्ष से ज्यादा पुराने न हो, जिस वर्ष के लिए ग्राम पंचायत परफॉर्मेंस ग्रांट चाहती है।

(ब) ग्राम पंचायतों को उनके लेखापरीक्षित खातों में आय में वृद्धि दिखानी होगी।

ग्राम पंचायत **परसारी,** के अभिलेखों कि जांच मे पाया गया कि पंचायत उपरोक्त दोनों मानको को पूरा करने मे असमर्थ रही जिस कारण ग्राम पंचायत परफॉर्मेंस ग्रांट से वंचित थी ।

इस विषय मे इंगित किए जाने पर इकाई ने बताया कि ग्राम पंचायत कि आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-पाँच

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत परसारी, विकास खण्ड- - जाखणीधार, जिला- टिहरी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून-248195** को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी /स्थानीय निकाय